राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या—105 / 2023

निरंजन प्रसाद शर्मा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सर्किल चुरू, जिला चुरू, राजस्थान।
4. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन तारानगर, जिला चुरू।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2023
आदेश की दिनांक :

उपस्थित :—
प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.एस. बिस्सा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी हेल्पर—।।, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिविजन तारानगर, चुरू के पद से दिनांक 30.11.2022 को सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी का कथन है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षा, इलेक्ट्रीक ट्रेड में आईटीआई एवं उसके पश्चात आरएसआरटीसी जयपुर से इलेक्ट्रीक ट्रेड में अप्रेंटिस किया, जिसके आधार पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में अपनी नियुक्ति के लिए दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1987 के आदेश द्वारा इलेक्ट्रीशियन—।। के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कैजुअल वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया और अपीलार्थी को मस्टर रोल पर इलेक्ट्रीशियन—।। के पद का मासिक वेतन प्रदान किया गया

(अनुलग्नक–1)। आदेश दिनांक 30.09.1991 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा उप सचिव ने मुख्य अभियंता, पीएचईडी को कार्यभारित कर्मचारियों को अर्ध स्थायी घोषित करने के निर्देश दिये। चूंकि अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1987 को आकस्मिक कार्यभारित इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर नियुक्त किया गया था तथा अपीलार्थी ने दो वर्ष की सेवाएं दिनांक 01.03.1989 को संतोषपूर्वक पूर्ण कर ली थी। इस प्रकार अपीलार्थी इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर अर्ध स्थायी होने का दर्जा दिनांक 01.03.1989 से प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 31.01.1992 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को इलेक्ट्रीशियन–।। के पद के स्थान पर हेल्पर–।। के रूप में अर्ध–स्थायी दर्जा प्रदान किया है। चूंकि अपीलार्थी के पास उच्च माध्यमिक शिक्षा, इलेक्ट्रीक ट्रेड में आईटीआई एवं उसके पश्चात आरएसआरटीसी जयपुर से इलेक्ट्रीक ट्रेड में अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र था एवं अपीलार्थी इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहा था। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया एवं इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर अर्ध–स्थायी किये जाने का निवेदन किया, जिसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर अर्ध–स्थायी घोषित न कर इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर पदोन्नति देने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने इलेक्ट्रीशियन–।। के पद को हेल्पर–।। के पद में समायोजित कर दिया, इस प्रकार अपीलार्थी का पद हेल्पर–।। ही बना रहा।

2. राज्य सरकार ने 1989 के संशोधित वेतनमान नियमों के लागू रहने के दौरान दिनांक 25.01.1992 के आदेश द्वारा चयन वेतनमान जारी किया था, जिसमें 9, 18 और 27 वर्ष की आयु पूरी करने पर स्थिर कर्मचारी पदोन्नति वेतन को चयन वेतनमान के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था, किन्तु वर्ष 1996 में नए संशोधित वेतनमान नियम लागू हो गए। अतः दिनांक 25.01.1992 के आदेश को उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ दिनांक 17.02.1998 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और कार्यभारित कर्मचारी पर भी लागू कर दिया गया। अपीलार्थी को इलेक्ट्रीशियन–।। के रूप में अर्ध–स्थायी दर्जा देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को एक चयन ग्रेड कम दिया जाएगा। अपीलार्थी अपनी शिकायत के निवारण हेतु विभिन्न पदों पर गया और संबंधित प्राधिकारियों ने अपीलार्थी से कहा कि

चूँकि कार्यभारित नियमावली, 1964 का संवर्ग मृतप्राय है, अतः पद परिवर्तन संभव नहीं है। इसका खुलासा दिनांक 04.08.2017 के पत्र द्वारा किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिलाखण्ड तृतीय जोधपुर ने अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिलावृत जोधपुर को पत्र लिख यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारी की सूचना मुख्य अभियंता (प्रशा.) को इसलिए प्रेषित नहीं की गई कि कर्मचारी के आईटीआई प्रमाण पत्र का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में नहीं था, जिसका इन्द्राज प्रशिक्षण संस्थान के उनके पत्र क्रमांक ATIJ/1/2016-Trg/1013/20.02.2017 के सत्यापन के पश्चात किया गया। साथ ही यह भी माना कि आईटीआई प्रमाण के अभाव में लिपिकीय त्रुटि के कारण नहीं भेजी प्रतीत होती है। इसके पश्चात अपीलार्थी ने अपनी शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अधिकरण, चलपीठ जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 120/2019 निरंजन प्रसाद शर्मा बनाम सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य प्रस्तुत की, जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 22.12.2021 (अनुलग्नक–6) पारित कर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 माह की अवधि में अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 29.03.2022 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–7)। उक्त अभ्यावेदन में अपीलार्थी ने दर्शाया कि अपीलार्थी के पास उच्च शिक्षा, आईटीआई इलेक्ट्रीक ट्रेड प्राप्त करने के बाद दिनांक 01.03.1987 को आकस्मिक कार्यभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया और मस्टर रोल पर इलेक्ट्रीशियन–।। का मासिक वेतन दिया गया और 31.01.1992 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को इलेक्ट्रीशियन–।। के बजाय हेल्पर–।। घोषित किया गया। जबकि अपीलार्थी ने इलेक्ट्रीशियन–।। के पद के अपने कर्तव्यों से संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए। अभ्यावेदन में अपीलार्थी ने अपनी तरह की स्थिति वाले कर्मचारी रामेश्वर लाल के फैसले की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे इलेक्ट्रीशियन के बजाय हेल्पर का अर्थ स्थायी दर्जा दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका को स्वीकर कर रामेश्वर लाल को इलेक्ट्रीशियन के रूप में अर्ध स्थायी दर्जा देने के निर्देश दिये थे। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर

दिनांक 16.12.2022 के आदेश द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। अपीलार्थी का कथन है कि उसने अभ्यावेदन में जिन बिन्दुओं पर चर्चा की थी, उन बिन्दुओं पर अभ्यावेदन के निस्तारण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी आदेश दिनांक 16.12.2022 नियम–विरूद्ध एवं अवैध तरीके के पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः आदेश दिनांक 16.12.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1989 से इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया जाकर समस्त पारिणामिक परिलाभ दिए जावें एवं अभ्यावेदन में किए गए निवेदन को स्वीकार किया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर गहनता से विचार किया गया है और अपीलार्थी को नियमानुसार ही राहत प्रदान की गई है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 120/2019 दायर की थी, जिसमें माननीय अधिकरण ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिस आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने गहनता से विचार करके ही आदेश दिनांक 16.12.2022 पारित किया गया है, जिस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने पुनः अधिकरण के समक्ष यह अपील उन्हीं आधारों को दोहराते हुए प्रस्तुत की है, जो आधार अपीलार्थी ने पूर्व की अपील में उठाये थे। इस प्रकार वर्तमान अपील आधारहीन होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया।

5. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 को अपास्त किए जाने और अपीलार्थी को दो वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर दिनांक 01.03.1989 से अर्द्धस्थाई किए जाने और पारिणामिक परिलाभ प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा है।

6. प्रस्तुत मामले में अधिकरण में पूर्व में अपील संख्या 120/2019 दायर हुई थी। जिसमें आदेश दिनांक 22.12.2021 के द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित

किया गया था कि वह अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें और प्रत्यर्थी विभाग राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में तीन माह की अवधि में आख्यात्मक आदेश पारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.03.2022 और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.12.2022 का अवलोकन किया, जिसमें अपीलार्थी के अभ्यावेदन में उठाये गये समस्त तथ्यों का अंकन कर अभ्यावेदन को अस्वीकार किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा इलेक्ट्रीशियन–।। की योग्यताएं धारित की जाती है। अतः उसे हेल्पर के बजाए इलेक्ट्रीशियन–।। के पद पर अर्द्धस्थायी किया जाकर पारिणामिक परिलाभ प्रदान किए जावे।

8. अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 में क्या अनियमितता है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि उसे इलेक्ट्रीशिय–।। के पद पर वर्कचार्ज कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी मात्र इलेक्ट्रीशियन की योग्यता धारित करने से उस पद के परिलाभों का हकदार नहीं हो जाता है। हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.12.2022 में कोई अनियमितता या विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है।

9. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य